



भारत सरकार  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
क्षेत्रीय कार्यालय(मध्य)  
Ministry of Environment, Forests & Climate Change  
Regional Office (Central Region)



जहाँ है हरियाली ।  
वहाँ है खुशहाली ॥

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024  
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector 'H' Aliganj, Lucknow-226024 Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025  
Email: (Env.) m\_env@rediffmail.com, (Forest) goimoeofolko@gmail.com

पत्र सं० 8बी/यू.पी./07/05/2015/एफ.सी. /112

दिनांक: 29-4-15

सेवा में,

प्रमुख सचिव(वन),  
वन अनुभाग, 6वां तल,  
बापु भवन, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

विषय : गाजियाबाद में एन0एच0-91 किमी0 09 से 19 (दिलशाद गार्डन से नया बस अड्डा गाजियाबाद तक) मेट्रो रेल के निर्माण हेतु 0.2108 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 42 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ : मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, का पत्रांक- 1872/ऑनलाईन-गाजियाबाद, दिनांक- 09.04.2015

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, का पत्रांक- 1475/ऑनलाईन-गाजियाबाद, यू0पी0-08/2014, दिनांक- 12.02.15 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति माँगी थी। इस प्रस्ताव के मुख्य तथ्य निम्नलिखित हैं-

वन भूमि का विवरण	0.2108 हे0 संरक्षित वन भूमि, गाजियाबाद वन प्रभाग
बाधक वृक्षों/पातन होने वाले वृक्षों की कुल संख्या-	42 वृक्ष
प्रयोक्ता अभिकरण का विवरण	अधिशाली अभियन्ता, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, विकास पथ, गाजियाबाद, उ0 प्र0।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक- 09.03.2015 द्वारा अतिरिक्त सूचना चाही गयी थी जिसकी अनुपालना मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत अनुपालना पर विचारोपरान्त मुझे मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार गाजियाबाद में एन0एच0-91 किमी0 09 से 19 (दिलशाद गार्डन से नया बस अड्डा गाजियाबाद तक) मेट्रो रेल के निर्माण हेतु 0.2108 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 42 वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वृक्षों के दस गुने अर्थात् 420 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करते हुए) जमा की जाएगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
3. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय की वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।

4. भारत सरकार पत्र संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या- एस0बी0-25230 कार्पोरेशन बैंक(भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक-11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा की जाएगी।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कार्पोरेशन बैंक(भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक-11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती (रसीद) की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना प्रेषित की जाए एवं मद्दवार जमा की गयी धनराशि का विवरण ( एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं आस-पास वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशियों का विवरण ) तथा जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति (जिसमें जारी करने वाले बैंक का नाम, शाखा एवं दिनांक स्पष्ट रूप से अंकित हो) प्रस्तुत की जाएगी तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।
7. प्रयोक्ता अभिकरण को, यदि आवश्यक हो, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्राविधानों के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।
8. विधिवत् स्वीकृति के उपरान्त प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक पीलर के आगे एवं पीछे उनकी दिशा भी लिखनी होगी। इसके लिए प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

उपरोक्त शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाय। याचक विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण की कार्यवाई राज्य सरकार द्वारा तब तक नहीं की जायेगी जब तक वनभूमि हस्तान्तरण के विधिवत् आदेश भारत सरकार द्वारा जारी नहीं किये जाते।

भवदीय,

(बृजेन्द्र स्वरूप)  
वन संरक्षक (के0)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अति0 वन महानिदेशक (एफ.सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नई दिल्ली- 110003.
2. नोडल अधिकारी, एवं मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजियाबाद, उ0 प्र0।
4. श्री चक्रेश जैन, अधिशासी अभियन्ता, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, विकास पथ, गाजियाबाद, उ0 प्र0।
5. श्री आनन्द कुमार, आशुलिपिक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
6. आदेश प्रत्रावली

(बृजेन्द्र स्वरूप)  
वन संरक्षक (के0)